न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2020 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल	बनाम	1. घीसु पिता धुकल जाट 2. नानु पिता लाडु जाट 3. गोपी पिता लाडु जाट 4. माधु पिता लाडु जाट 5. उगमा पिता लाडु जाट 6. रामलाल पिता लाडु जाट 7. भीमराम पिता लाडु जाट 8. चम्पा पिता सुखदेव जाट निवासीयान ढेढवास तहसील माण्डल
–प्रार्थी		–विपक्षी

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 05-8-.2020

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./4651/2008/भीलवाडा सरकार बनाम घीसु अन्य निर्णय दिनांक 01.11.2019 में अंकन किया गया कि बांध के डूब क्षेत्र में किसी भूमि के आ जाने से इसे सिवायचक सरकार दर्ज किया गया। राज्य सरकार ने इस प्रकार की भूमियों के संबंध में दिनांक 20.10.67 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसे दिनांक 22.07.87 को विड्रो कर लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.02.82 से इस प्रकार की भूमियों को आवंटन योग्य माना गया हैं। उल्लेखनीय हैं कि इस प्रकार की भूमियों के संबंध में दिनांक 02.01.08 के मार्ग दर्शन में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.02.82 के परिपत्र को सही माना गया हैं। वादग्रस्त भूमियों के पूर्व में अप्रार्थीगण की खातेदारी में भी रहने का तथ्य प्रकट होता हैं। ऐसी स्थिति में इनके वापस अवाप्ति से मुक्त करने के आदेश की प्रति या अप्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करायी गयी पूर्व राशियों के वापस लौटाने के दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं हैं। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों से संबंधित राजस्व रिकार्ड, अवाप्ति व अवाप्ति से मुक्त करने संबंधी सम्पूर्ण रिकार्ड, राजकोष में राशि जमा कराने और वापस लौटाने से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड के आधार पर प्रकरण पूर्ण तैयार करने के पश्चात् ही, प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

तहसीलदार माण्डल से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

1 अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

1. ग्राम ढेढवास तहसील माण्डल के साबिक आराजी नं. 19,29,40,166,167 धूकल पिता रघुनाथ जाट के नाम से दर्ज थी।
2. उक्त आराजी नम्बर बांध के डूब में आने से अवाप्त होकर बिलानाम सरकार दर्ज किया गया। जिसके नवीन आराजी नं. 5,6,116,4 रकबा 9 मय चाह 1 बिस्वा जो जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी।
3. तहसील के आदेश दिनांक 21.05.1985 से विपक्षी नम्बर 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 से विवादित आराजी भू भाग का रकबा 9 बीघा मय चाह हिस्सा खाते में अभिलिखित कर दिया गया।
4. तहसीलदार माण्डल का आदेश दिनांक 21.05.85 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 जो राज्य सरकार के परिपत्र प. 19 (6) राज./उप./81 दिनांक 10.02.82 के बाद दिया गया है जो नियमों के विरूद्व होने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य हैं।

उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में होने के कारण किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती हैं। भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरूद्व होकर निरस्त योग्य है।

उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राज./न्याय/42/92/रेफ./एल.आर./भीलवाडा/06.05.92/1664 दिनांक 06.02.2003 से इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–6 (66) राशि/65 दिनांक 20.10.67 व परिपत्र क्रमांक प.19 (6) राज./उप./81 दिनांक 10.02.82 विरोधाभाषी है, जिससे प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 20.10.67 व 10.02.82 के गुणावगुणों पर परीक्षण किये जाने एवं इस संबंध में राज्य सरकार से दिनांक 02.01.2008 को निर्देश प्राप्त होकर स्पष्ट कर दिया गया हैं कि अब ऐसे मामलों में राज्य सरकार के परिपत्रांक 10.02.82 के अनुसार तालाब तल की भूमि को भू आवंटन नियम 1961 के तहत आवंटन किया जा सकता है।

उक्त तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया गया। जो पुनः पत्रांक/रेफरेन्स/एल.आर./4651/2008/भीलवाडा सरकार बनाम घीसु अन्य निर्णय दिनांक 01.11.2019 से इस न्यायालय को रेफरेन्स पुनः प्रेषित किया गया कि कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों से संबंधित राजस्व रिकार्ड, अवाप्ति व अवाप्ति से मुक्त करने संबंधी सम्पूर्ण रिकार्ड, राजकोष में राशि जमा कराने और वापस लौटाने से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड के आधार पर प्रकरण पूर्ण तैयार करने के पश्चात् ही, प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./4651/2008/भीलवाडा सरकार बनाम घीसु अन्य निर्णय दिनांक 01.11.2019

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 17.01.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम ढेढवास तहसील माण्डल के साबिक आराजी नं. 19,29,40,166,167 धूकल पिता रघुनाथ जाट के नाम से दर्ज थी। उक्त आराजी नम्बर बांध के डूब में आने से अवाप्त होकर बिलानाम सरकार दर्ज किया गया। जिसके नवीन आराजी नं. 5,6,116,4 रकबा 9 मय चाह 1 बिस्वा जो जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी। तहसील के आदेश दिनांक 21.05.1985 से विपक्षी नम्बर 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 से विवादित आराजी भू भाग का रकबा 9 बीघा मय चाह हिस्सा खाते में अभिलिखित कर दिया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों से संबंधित राजस्व रिकार्ड, अवाप्ति व अवाप्ति से मुक्त करने संबंधी सम्पूर्ण रिकार्ड, राजकोष में राशि जमा कराने और वापस लौटाने से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड के आधार पर प्रकरण पूर्ण तैयार करने के पश्चात् ही प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

ग्राम ढेढवास तहसील माण्डल के साबिक आराजी नं. 19,29,40,166,167 धूकल पिता रघुनाथ जाट के नाम दर्ज थी। उक्त साबिक आराजी नं. बांध के डूब में आने से अवाप्त होकर बिलानाम सरकार दर्ज किया गया जिसके नवीन आराजी नं. 5,6,116,4 रकबा 9 मय चाह 1 बिस्वा जो जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी जो तहसीलदार माण्डल के आदेश दिनांक 21.05.85 से विपक्षी नम्बर 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 से विवादित आराजी भू भाग का रकबा 9 बीघा मय चाह हिस्सा खाते में अभिलिखित कर दिया गया। तहसीलदार माण्डल का आदेश दिनांक 21.05.85 जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 प्रमाणित किया गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र प.19 (6) राज./उप./81 दिनांक 10.02.82 के बाद दिया गया है, जो नियमों के विरूद्ध होकर काबिल निरस्त होने से तहसीलदार माण्डल ने कार्यवाही अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् रेफरेन्स का प्रस्तुत किया है।

ग्राम ढेढवास तहसील माण्डल के साबिक आराजी नं. 19,29,40,166,167 धूकल पिता रघुनाथ जाट के नाम दर्ज थी। उक्त साबिक आराजी नं. बांध के डूब में आने से अवाप्त होकर बिलानाम सरकार दर्ज किया गया जिसके नवीन आराजी नं. 5 रकबा 52.17 किस्म पेटा, 6 रकबा 33.00 किस्म पेटा, 116 रकबा 19.10 किस्म पेटा, 4 रकबा 0.01 किस्म खड्डा गे.मु. में से रकबा 9 मय चाह 1 बिस्वा जो जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 में बांध के डूब क्षैत्र में आने से अवाप्त होकर बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी जो तहसीलदार माण्डल के आदेश दिनांक 21.05.85 से विपक्षी नम्बर 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 से

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विवादित आराजी भू भाग का रकबा 9 बीघा मय चाह हिस्सा खाते में अभिलिखित कर दिया गया। तहसीलदार माण्डल का आदेश दिनांक 21.05.85 जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 प्रमाणित किया गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र प.19 (6) राज./उप./81 दिनांक 10.02.82 के बाद दिया गया है, जो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्व होकर शून्य हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम ढेढवास तहसील माण्डल के साबिक आराजी नं. 19,29,40,166,167 धूकल पिता रघुनाथ जाट के नाम दर्ज थी। उक्त साबिक आराजी नं. बांध के डूब में आने से अवाप्त होकर बिलानाम सरकार दर्ज किया गया जिसके नवीन आराजी नं. 5 रकबा 52.17 किस्म पेटा, 6 रकबा 33.00 किस्म पेटा, 116 रकबा 19.10 किस्म पेटा, 4 रकबा 0.01 किस्म खड्डा गे.मु. में से रकबा 9 मय चाह 1 बिस्वा जो जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 में बांध के डूब क्षैत्र में आने से अवाप्त होकर बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी जो तहसीलदार माण्डल के आदेश दिनांक 21.05.85 से विपक्षी नम्बर 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 से विवादित आराजी भू भाग का रकबा 9 बीघा मय चाह हिस्सा खाते में अभिलिखित कर दिया गया। तहसीलदार माण्डल का आदेश दिनांक 21.05.85 जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 08.07.85 प्रमाणित किया गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र प.19 (6) राज. /उप./81 दिनांक 10.02.82 के बाद दिया गया है, जो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्व होकर शून्य हैं। अतः नियमों के विरूद्व विपक्षी के नाम नामान्तरकरण किये जाने से प्रश्नगत आराजी से पुनः विपक्षी के नाम हटाये जाकर बिलानाम सरकार इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05-8-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा